राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड।

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Email : jsec-jhr@nic.in

दूरभाष– 0651–2284012, 9264474491 फैक्स–0651–2280287

पत्रांक-03-नि0 प0-54/2022 रा0नि0आ0– 1221 /

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-उपायुक्त,
चतरा ।

राँची, दिनांक- 15/05/2022

विषयः- त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 : पुनर्मतदान के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-451/जि0पं0 दिनांक-14.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या 47 में ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) के पद हेतु पुनर्मतदान संबंधी प्रतिवेदन सहित सामान्य प्रेक्षक द्वारा भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात् निदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग का अभिमत है कि उक्त मतदान केन्द्र के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हुई है। अतः झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 73 के अधीन आयोग का यह निर्देश है कि संबंधित मतदान केन्द्र पर निम्न विवरणी के अनुसार पुनर्मतदान कराना सुनिश्चित किया जाय :-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम	पद का नाम	पुनर्मतदान की तिथि एवं समय
1	प्रतापपुर	47-उ0म0वि0, घोड्दौड उत्तरी भवन, पश्चिमी भाग	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य)	16.05.2022 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक

संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तत्काल इस आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

15/5/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची ।